न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 पूजा सक्सेना, आर0ए0एस0
प्रकरण संख्याः— वादपत्र 285/2019

अनवान प्रकरण

1—लेहरू पिता छोगा भील निवासी करणवास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा ——— वादी

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
———प्रतिवादी

(वाद बाबत— घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती)

उपस्थितः— वकील वादी—श्री अम्बालाल जाट
प्रतिवादी :— पेरोकार सरकार

———

निर्णय दिनांक 04.08.2022

1— वादी के द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88—89व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बागोर पटवार मण्डल बागोर द्वितीय तहसील माण्डल की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 743 में आराजी नम्बर 6034 रकबा 18 बिस्वा किस्म गेमु0 पाल वादी लेहरू पिता छोगा भील के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी से दर्ज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

2—यह कि उक्त आराजी को वादी ने 30 वर्ष पूर्व क्रय कर अपने आधिपत्य में ली तब से वादी काविज होकर फसल काश्त करता चला आ रहा है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटीवश उक्त आराजीयात की किस्म गेमु0 पाल अंकित कर दी । अतः निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को अपनी कब्जेशुदा वादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम बागोर की आराजी नम्बर 6034 रकबा 18 बिस्वा किस्म गेमु0 पाल को इन्द्राज दुरूस्ती कर गेमु0 पाल के बजाय किस्म बाराजी वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किया जावे।

3—वादपत्र दिनांक 24.12.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2021 को जवाब प्रस्तुत किया।

4—वादपत्र में वादी के द्वारा ग्राम बागोर की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 प्रस्तुत की जिसमें आराजी नम्बर 6034 अन्य आराजीयात के साथ खाता संख्या 743 में वादी लेहरू पिता छोगा भील निवासी करणवास के नाम पर खातेदारी से दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 6034 रकबा 1.00बीघा किस्म गेमु0 पाल दर्ज है। वादी के द्वारा अपने वाद की ताईद में अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

5—वादी के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पटवारी हल्का बागोर द्वितीय की वादवर्णित आराजी संख्या 6034 की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.12.2021 के आधार पर निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

किया कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी की आराजी नम्बर 6034 की किस्म गेमु0 पाल गलत दर्ज कर दी जबकि मौके पर भूमि काश्त योग्य होकर वादी इसमें काश्त कर रहा है। इस भूमि के आसपास में राजकीय विभाग को भूमि आवंटित है तथा मौके पर सड़क बनी हुई है। अर्थात मौके पर वादवर्णित आराजी की किस्म पाल नहीं होकर बारानी भूमि है। अतः वाद वर्णित आराजी की किस्म परिवर्तन कराने हेतु वादी का वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

6—बहस में पेरोकार सरकार ने निवेदन किया कि ग्राम बागोर की वादवर्णित आराजी नम्बर 6034 की किस्म गेमु0 पाल है। वादी ने अपने वाद की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं जिससे यह सिद्ध हो सके कि वादवर्णित आराजी की किस्म पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड में बारानी थी जिसे आगामी वर्ष के रिकॉर्ड में गेमु0 पाल दर्ज कर दी। यदि वादी अपनी खातेदारी भूमि की किस्म परिवर्तन कराना चाहता है तो इसके लिए वादी न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। राज्य सरकार के स्तर पर ही किस्म परिवर्तन की जा सकती है।अतः वादी का वाद खारीज फरमाया जावे।

7—हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तथा प्रस्तुत वाद एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम बागोर की आराजी नम्बर 6034 रकबा 18 बिस्वा किस्म गेमु0 पाल नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में वादी लेहरू पिता छोगा भील के नाम पर खातेदारी से दर्ज है। वादवर्णित आराजी की पटवारी हल्का बागोर द्वितीय तहसील माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में आराजी नम्बर 6034 रकबा 0.2276 हैक्टर किस्म गेमु0 पाल दर्ज होना सिद्ध होता है। मौके पर काश्त किया जाना किस्म परिवर्तन का कोई आधार नहीं है। वादी ने अपने वाद में कथन किया कि वादी ने यह आराजी 30 वर्ष पूर्व क्रय की परन्तु न तो विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रति एवं आराजी क्रय के समय की कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की जिससे यह सिद्ध हो सके कि ग्राम बागोर की आराजी नम्बर 6034 की किस्म गेमु0 पाल न होकर बारानी थी। जैसाकि पेरोकार सरकार के जवाब में भी इस तथ्य पर आपत्ति जाहिर की है कि वादी अपनी भूमि की किस्म परिवर्तन कराना चाहता है तो इस वाद के माध्यम से वादी इस न्यायालय से किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसाकि स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार की भूमि की किस्म परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार में निहीत है। वादी अपने वाद को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है। अतएव—

8—उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद सिद्ध नहीं होने से खारीज किया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

9—निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को तैयार कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल माण्डल भीलवाड़ा